परि.प्र.क. 822/2018 योगेश कुमार विरूद्ध नेशनल फूट वियर

Witness no. .....02.....for …..... **परिवादी साक्ष्य**.....Deposition taken the.....23-01-2025.....day of ..... **गुरूवार**.....Witness's apparent age ..... 29Y.....

States on affirmation .....**शपथपूर्वक**..... My name is... ..... **प्रणय उईके** .....

S/ of ..... **स्व.श्री लालचंद उईके** ..... occupation..... **सहायक प्रबंधक** .....

address - **युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा रजबंधा मैंदान, जिला–रायपुर छ.ग.।**

समय : 01.41 पी.एम. बजे से

मुख्यपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश भावनानी वास्ते परिवादी

01– मैं युनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रजबंधा मैदान रायपुर में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूॅ। मैं आज माननीय न्यायालय से समंस प्राप्त होने पर साक्ष्य हेतु बैंक की तरफ से साक्ष्य देने आया हूॅ। बैंक के द्वारा मुझे आज साक्ष्य देने हेतु भेजा गया है।

02– कॉर्पोरेशन बैंक का विलय युनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है और समस्त खातेधारकों का खाता युनियन बैंक में ट्रांसफर हो गया है।

03– परिवादी योगेश कुमार गिलानी का खाता हमारे बैंक में है। मैं आज अपने साथ योगेश कुमार गिलानी का एकाउंट स्टेटमेंट दिनांक 01.01.2018 से 30.01.2018 तक साथ लाया हूॅ, जो **प्र.पी. 08** है, जिसके अ से अ भाग पर चेक अनादरण का उल्लेख है तथा ब से ब भाग पर बैंक की सील एवं हस्ताक्षर है।

04– मैं आज अपने साथ चेक वापसी रजिस्टर का मूल साथ लाया हूॅ तथा साथ में प्रमाणित प्रतिलिपि भी साथ लाया हूॅ। चेक वापसी रजिस्टर का मूल **प्र.पी. 09** है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी. 09सी** है, जिसके अ से अ भाग पर चेक अनादरण का उल्लेख है एवं ब से ब भाग पर बैंक का सील एवं हस्ताक्षर है। चेक वापसी रजिस्टर में संबंधित बैंक से जब चेक वापस होता है, तब हम उसके आधार पर रजिस्टर में एंट्री करते हैं।

05— संबंधित खातेधारक द्वारा जब चेक हमारे बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारे द्वारा उपरोक्त चेक को स्कैन करके जिस बैंक का चेक होता है, वहां भेजा जाता है, उनसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर हम मेमो जारी करते हैं। प्र.पी. 02 का मेमो हमारे बैक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें चेक नंबर, आईएसएन नं., कोड, राशि, प्रस्तुती दिनांक एवं चेक अनादरण का कारण दिया जाता है। उपरोक्त मेमो कम्प्यूटर जनरेटेड मेमो है, जिसे केवल बैंक के सिस्टम द्वारा ही निकाला जा सकता है, उसे अन्य कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि उपरोक्त मेमो बैक के सिस्टम से ही जनरेट होता है।

06— जब हमें संबंधित बैंक से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जब हमने उसे परिवादी को चेक के साथ वापस किया।

टीप :— बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष मौखिक निवेदन किया कि उनके मूल अधिवक्ता पारिवारिक कारणों से आज न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, इसलिये प्रतिपरीक्षण हेतु समय दिये जाने का निवेदन है। उक्त मौखिक निवेदन पर विचार उपरांत साक्षी का प्रतिपरीक्षण आगामी तिथि तक के लिये स्थगित किया गया।

समयः 01.46 पी.एम. बजे तक

साक्षी को पढ कर सुनाया, समझाया गया
सहीं होना स्वीकार किया।

सही/—

(श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही/—

(श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर.....